राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 के अधीन संचालित

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2005-2006

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

1. परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), 2005 लोक सभा में 23 अगस्त, 2005 को पारित किया गया, जो दिनांक 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में देश के 200 जिलों में 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 के अधीन संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जरिये यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अगर किसी ग्रामीण परिवार के कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 की शुरुआत

दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को लागू किया गया है । अधिनियम के लागू होने से अधिसूचित जिलों में ग्रामीण परिवारों का यह अधिकार है कि वे अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के रुप में अपनी ग्राम पंचायत में अपना नाम पंजीकृत करा सकते है। ग्राम पंचायत समुचित सत्यापन के पश्चात परिवार का नाम पंजीकृत करेगी ओर पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है ओर व्यक्ति विशेष को अधिनियम

के अन्तर्गत काम मांगने ओर काम की मांग के 15 दिन के अन्दर काम पाने का अधिकार प्रदान करता है।

आरंभिक चरण में राज्य के 6 जिलों में पूर्व से संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में 2 फरवरी, 2006 से समाहित किया गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों और निधियों का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत सम्मिलित करने के, जिलों को निर्देश जारी किये गये हैं, ताकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत समय पर कार्य पूरा करना ओर इन योजनाओं के रोजगार गारंटी योजना के साथ मिला दिये जाने से रोजगार गारंटी योजना का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

3. उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 के अधीन संचालित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्य उद्देश्य यथा– रोजगार गारंटी से सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, गांवों से शहरों की ओर पलायन पर अकुंश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना भी है।

4. कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-3 (1) के अन्तर्गत राज्य में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण में यह योजना राज्य के बांसवाडा, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही एवं उदयपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 फरवरी, 2006 से लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा योजना का विस्तार किये जाने पर राज्य के अन्य जिलों में भी यह योजना चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत संचालित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में राज्य के 6 जिले यथा- बांसवाडा, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही एवं उदयपुर की सभी 40 पंचायत समितियों की सभी 1687 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं, जिनमें कुल ग्रामों की संख्या 7673 एवं बीपीएल सेन्सेस-2002 के अनुसार परिवारों की संख्या 1610937 है।

5. विशेषताएं

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के अधीन संचालित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है-

- योजना जिस क्षेत्र में लागू है, उस क्षेत्र के समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य योजना में लाभ के पात्र होंगें।